न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

ठासीन अधिकारी :— अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

. 154/2020
ीएमएस : 2020/00327

गुरप्रीत सिंह बनाम राजविन्द्र कौर आदि
अन्तर्गत धारा 88—188—92ए आरटीएक्ट

स्थिति :—
श्री सोहनलाल जोशी, वकील वादी
श्री राजाराम पूनियां, वकील प्रतिवादी सं. 2(प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी

दिनांक : 02.09.2021

—: निर्णय प्रार्थना पत्र :—

प्रार्थी राजीव कुमार(प्रति. सं. 2) ने प्रार्थना पत्र आ. 7 नि.11 व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि चक 4 एसएडी प.नं. 162/345 के मु.नं. 34 की 3.036है. भूमि प्रति सं. 2 ने विधि अनुसार पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीद की है और बैयनामा उप पंजीयक मुकलावा के कार्यालय से दिनांक 12.02.2019 को पंजीकृत हुआ हैं। उसकी रोज से प्रति सं. 2 का विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा हैं। विवादित भूमि पंजीकृत दस्तावेज से प्रति. सं. 2 को आई हैं जब तक यह दस्तावेज कायम है जब तक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं। वादी ने उपहार पत्र 30.11.2018 को विधि विपरित अमान्य प्रभावहीन अकृत्य एवं शून्य घोषित करवाने तथा द्वितीय परिणामात्मक अनुतोष प्रति. नं. 1 के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख पत्र बिना आधार बिला अधिकार अमान्य प्रभावहीन घोषित करवाने का वाद पेश किया हैं दोंनों दस्तावेज पंजीकृत हैं। इसलिए राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज कायम हैं तब तक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं हैं। वाद वादी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आ. 7 नि. 11 के अन्तर्गत नहीं आता हैं। वादी अपने वाद में वादी द्वारा प्रतिवादिनी सं. 1 के पक्ष में किये तथाकथित उपहार पत्र को अकृत्य, विधिविरूद्ध एवं शून्य मानकर वादग्रस्त समपदा में अपने खातेदारी अधिकारों को अक्षुण घोषित करने का अनुतोष चाहा है, और कृषि भूमि में कोई भी अधिकार मात्र राजस्व न्यायालय ही प्रदान कर सकता हैं। राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज की बाबत सुनवाई के अधिकार की कोई मनाही नहीं हैं। अगर उपहार पत्र प्रभावहीन, शून्य हैं तो प्रतिवादी के पंजीकृत बैयनामा जो इस उपहार पत्र पर आधारित हैं। कोई अधिकार नहीं रहता है, स्वतः समाप्त हो जाता हैं। वाद के मूल अनुतोष कृषि भूमि के अधिकारों को मान्यता देने का है, दस्तावेज को निरस्तीकरण अनुषांगिक अनुतोष हैं। भूमि में वादी के अधिकारों की मान्यता होते ही वे तो अपने आप समाप्त हो जावेगी। वाद न्यायालय की ही सुनवाई क्षेत्र का है। और दरख्वास्त निरस्ती के लायक हैं। परन्तु अगर न्यायालय किसी कारण से अपने अधिकार क्षेत्र का ना माने तो विकल्प में वादी का निवेदन हैं कि वादी को वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुवे वापस लौटाने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी(प्रति0 सं. 2) ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने उपहार पत्र 30.11.2018 शून्य घोषित करवाने तथा प्रति. नं. 2 के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख पत्र प्रभावहीन घोषित करवाने का वाद पेश किया हैं दोंनों दस्तावेज पंजीकृत हैं। इसलिए राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज कायम हैं तब तक वाद पत्र की सुनवाई का अधिकार नहीं हैं। वाद वादी खारिज करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया वादी द्वारा वाद वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश किया गया हैं। कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को हैं। अतः वादी का वाद पत्र राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा हैं कि घोषित किया जावे कि उपहार पत्र दिनांक 30.11.2018 विधिविपरित, अमान्य, प्रभावहीन, अकृत्य एवं शून्य हैं। निरस्त किया जावे। इसका द्वितीय प्ररिणामात्मक अनुतोष में प्रति. सं. 2 के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख पत्र बिना आधार अमान्य व प्रभावहीन घोषित किया जावे। वाद के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रति उपहार पत्र दिनांक 30.11.2018 उप पंजीयक मुकलावा से पंजीबद्ध हैं। विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2019 भी उप पंजीयक मुकलावा से पंजीबद्ध दस्तावेज हैं। दावे का पिथ एण्ड सबस्टेंस मुख्यतः पंजीकृत दस्तावेजों विक्रय पत्र व [illegible] निरस्त करने का हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.12.01 17:45:49 IST
Reason: SelfAttested

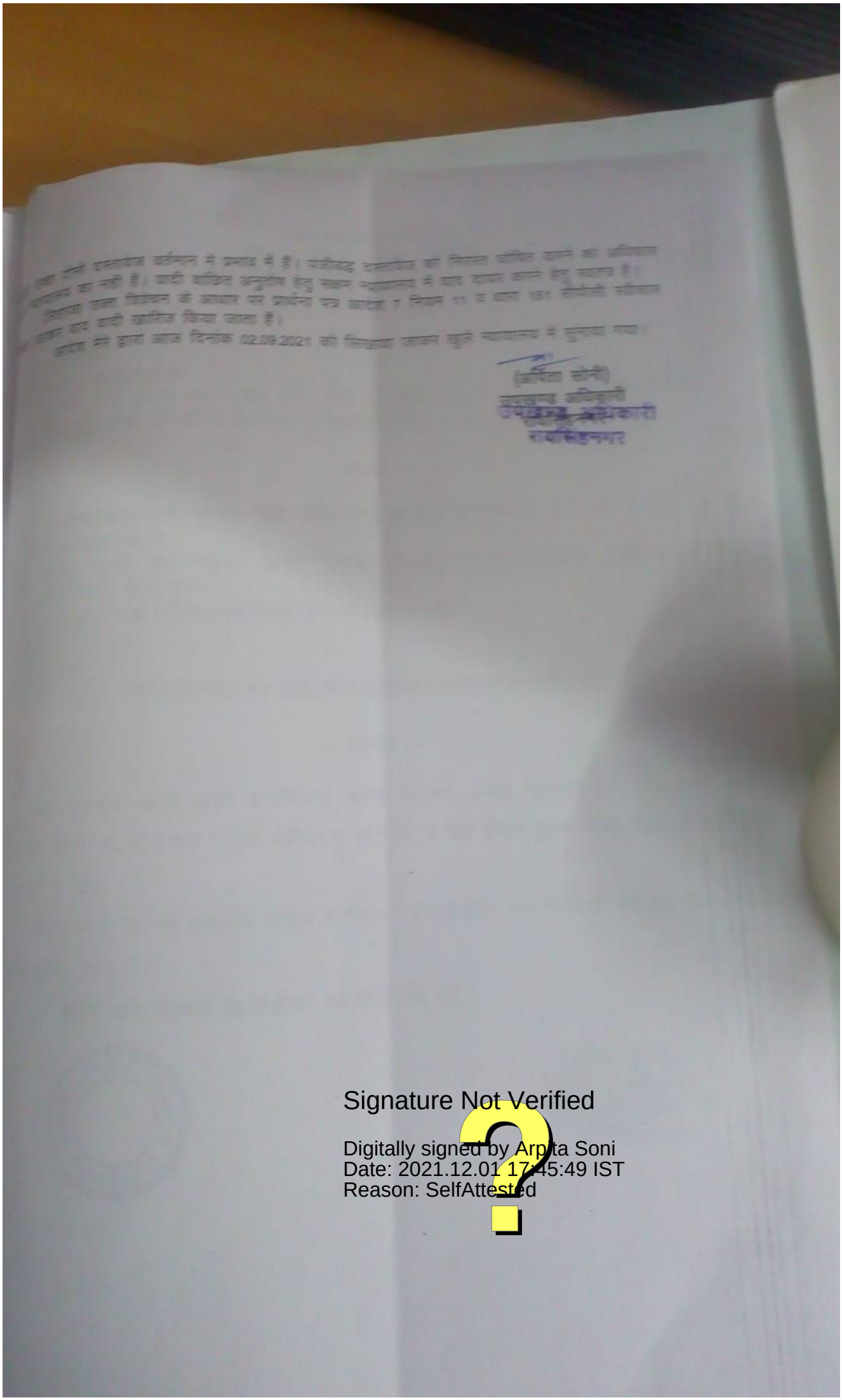

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.12.01 17:45:49 IST
Reason: SelfAttested